

the last three years, the Directors General of Military Operations of India and Pakistan are in periodic touch with each other.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विदेश भेजे जाने वाले व्यक्ति

2315. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया था साथ ही उन्हें जिस काम के लिए और जिन देशों में भेजा गया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और विशिष्ट कार्यों के लिए विदेश भेजे गए प्रतिनिधियों या अधिकारियों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :
(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

Cheating by Foreign Universities.

2316. DR. YELAMANCHILI SIVAJI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many dubious foreign universities in America, Europe and the Australia are advertising in Indian Print Media and are cheating Indian students, who do not know that the degrees and diplomas awarded by such universities are worthless; and

(b) if so, what action has been taken to contain this racket?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) According to the information furnished by the University

Grants Commission and the Association of Indian Universities, a number of advertisements have appeared in the Indian print media inviting applications for admission to various degrees/diploma courses in universities based in America, Europe, England, Australia, etc. Some of the universities are not accredited in their own countries. A.I.U., have therefore issued notices from time to time in 'Employment News' and 'University News' advising students and others to ascertain the position regarding the standing of such institutions from the Association. According to the information furnished by UGC is not possible to take action against such institutions under the UGC Act.

भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के अधि-कारियों को स्थायी किया जाना

2317. श्री अनन्तराम जायसवाल :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग की भर्ती नियमित आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि 10 वर्ष या इससे भी अधिक समय से कार्यरत, भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के अधि-कारियों को 31 जुलाई, 1990 तक भी स्थायी नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उन्हें तुरन्त स्थायी करने के लिए इन मामलों पर फिर से विचार करेगी; यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) इस प्रकार का लापरवाही पूर्ण और उदासीन दृष्टिकोण अपनाने और सख्त अधिकारियों को स्थायी न किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के